न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/382

1. धन्नी बेवा सोनिया आयु 47 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. काली बेवा मुरारी आयु 27 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. अंकेश आत्मज मुरारी आयु 05 वर्ष जाति मीणा नाबालिग जरिये संरक्षिका माता काली बेवा मुरारी आयु 27 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. हरपाल आत्मज रामनाथ आयु 42 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. गंगाधर आत्मज जन्शी आयु 62 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. चतुरभुज आत्मज जन्शी आयु 62 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्योराज आत्मज रतिराम आयु 52 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. रामजीलाल आयु 47 वर्ष आत्मज रतिराम आयु 52 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. धोलू आत्मज चतुरभुज आयु 34 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. भगवानसहाय आत्मज रामपाल आयु 47 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. रामसहाय आत्मज रामपाल आयु 27 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. गुडी बाई पत्नी आशाराम आयु 42 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. रामपाल आत्मज रामनाथ आयु 67 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. सजना पुत्री सोनिया आयु 27 वर्ष पत्नी कमलेश जाति मीणा हाल निवासी ग्राम गंभीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. राजेन्द्र आत्मज सुखपाल आयु 27 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. विनोद आत्मज सुखपाल आयु 24 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

13. करमा बाई पुत्री सुखपाल आयु 29 वर्ष पत्नी बोलताराम जाति मीणा हाल निवासी ग्राम बूढकरवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
14. कौशल्या बेवा सुखपाल आयु 54 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
15. रामनिवास आत्मज श्रवण आयु 60 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री विशाल सनाड्य, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र सहाय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट क्रम 1 से 4 एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 09 एवं 11 से 15 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 131 की खसरा नम्बर 152 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा , खसरा नम्बर 159 की रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के वादीगण क्रम 1 से 10 खातेदार हैं । आराजी खसरा नम्बर 152 में 2/11 हिस्से की सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 09 है वह अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है । ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा में ही खाता संख्या 127 की खसरा नम्बर 156 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । इस भूमि का खातेदार वादी क्रम 11 है और वही खातेदार की हैसियत से इस भूमि पर काबिज काश्त है । प्रतिवादीगण क्रम 1 से 8 का वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है परन्तु वे ताकत के बल पर वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादीगण क्रम 1 से 8 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण क्रम 1 से 8 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को उनके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें और वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लें तो उन्हें उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर वादीगण क्रम 2, 4, 5 एवं 10 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.05.2017 से आगामी दिनांक 23.06.2017 को कायमी तनकीयात में रखी गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.06.2017 से पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखा गया और उसी दिन दावा वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपने निर्णय में अंकित किया है कि सीमाज्ञान से पक्षकारान सहमत हैं जो गलत है । वास्तव में पक्षकारान के मध्य कोई सीमाज्ञान नहीं किया गया और न ही वादीगण सीमाज्ञान से सहमत थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि कि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.05.2017 से आगामी दिनांक 23.06.2017 को कायमी तनकीयात में रखी गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.06.2017 से पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखा गया और उसी दिन दावा वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपने निर्णय में अंकित किया है कि सीमाज्ञान से पक्षकारान सहमत हैं जो गलत है । वास्तव में पक्षकारान के मध्य कोई सीमाज्ञान नहीं किया गया और न ही वादीगण सीमाज्ञान से सहमत थे । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का कोई विधिक राजीनामा भी पेश नहीं किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो लोक अदालत की भावना के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 29.06.2015 को पक्षकारान के मध्य सीमाज्ञान हुआ था जिससे पक्षकारान सहमत थे । पक्षकारान के मध्य मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है । इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.05.2017 से आगामी दिनांक 23.06.2017 को कायमी तनकीयात में रखी गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.06.2017 से पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखा गया और उसी दिन दावा वादी खारिज कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई विधिक राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर

पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करने हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालात की भावना के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा